"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नग़द भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 सितमबर 2003—भाद्र 14, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक एफ. ए. 8-1/2001/1/एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. ए. 8-1/2001/1/एक, दिनांक 18-1-2003, जिसके द्वारा जिला योजना समिति की अध्यक्षता करने और जनसंपर्क तथा जन (समस्)याओं के निराकरण के लिये कॉलम-2 में उल्लेखित मंत्रि-परिषद् के सदस्(यों) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये जिला का प्रभार सौंपा गया था, को उक्त जिला के प्रभार से मुक्त करते हुए अब कॉलम-4 में उल्लेखित मंत्री को सौंपा जाता है :—

क्रमांक	मंत्री/राज्यमंत्री का नाम	प्रभार जिले का नाम	मंत्री का नाम जिन्हें अब कालम-3 में उल्लेखित जिले का प्रभार सौंपा जाता है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गंगूराम बघेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	बस्तर	श्री तरूण चटर्जी, मंत्री, लोक निर्माण.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

2. यह आदेश, आदेश जारी करने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2003

क्रमांक 1539/839/03/11/वा.उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. भिलाई इस्पात संयंत्र (पावर प्लांट) भिलाई के बायलर क्र. एम.पी./3520 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 2-5-2003 से दिनांक 15-10-2003 तक के लिये छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्प यंत्र, छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम कि धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छ. ग. के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2003

क्रमांक 1537/849/03/11/वा.उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा (पूर्व) कोरबा के बायलर क्र. एम.पी./3224 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 9-4-2003 से दिनांक 8-5-2003 तक के लिये एक माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्प यंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम कि धारा 12 एवं 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छ. ग. के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 11-4/2003/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा म. प्र. उद्योग (शेड प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 यथा संशोधित में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

अनु.	नियम की कंडिका क्र.	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	परिभाषायें 2 (iii) द	"5 एकड़ से अधिक के अन्य प्रकरणों में जिला योजना समिति" के स्थान पर "5 एकड़ से अधिक के अन्य प्रकरणों में उद्योग आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाता है.
2.	2 (vii)	विलोपित किया जाता है.
3.	नीलामी हेतु 4 (i) भूमि/भवन का आरक्षण.	आदेश दिनांक 1-4-99 से जोड़ा गया पैरा "जिला योजना समिति औद्योगिक क्षेत्र संस्थाओं में निजी क्षेत्र के माध्यम से शेडों का काम्लेक्स बनाये जाने हेतु भूमि आरक्षित कर सकेगी." को विलोपित किया जाता है.
4.	सहायक 16 (i) प्रयोजन हेतु आवंटन.	"जिला योजना समिति" के स्थान पर "उद्योग आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाता है.
5.	16 (iii)	"जिला योजना समिति" के स्थान पर "राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग" प्रतिस्थापित किया जाता है.
6.	अभ्यावेदन अपील 22 (i) (क)	"जिला योजना समिति" के स्थान पर राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग प्रतिस्थापित किया जाता है.
7.	22 (i) (ख)	पूर्व प्रावधान विलोपित कर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है— "राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्राप्त अपीलों को विभाग के उप संचालक स्तर के नामांकित अधिकारी प्रमुख/विशेष सचिव के माध्यम से विभाग के भारसाधक मंत्री के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत करेंगे."
8.	22 (ii)	पूर्व प्रविष्टि "तथा जिला योजना समिति". को विलोपित किया जाता है.
9.	स्वप्रेरणा से 22 (अ) निर्णय की समीक्षा	पूर्व प्रविष्टि "जिला योजना समिति को विलोपित किया जाता है.

2. शेष नियम यथावत् रहेंगे.

3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 1-2/2003/(6)/11.—राज्य शासन द्वारा श्री एम. के पाण्डे, अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय रायपुर को पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है. श्री पाण्डे को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 58 (1) के तहत पंजीयक की समस्त शक्तियां प्रदत्त होंगी.

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक 5274/डी-4001/21-ब/छग/03.—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्र. 2534/डी-823/21-ब/छग/03, दिनांक 31-3-2003 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रकरणों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त स्टेंडिंग कौंशिल श्री एस. के. राव को यह निर्देशित करता है कि वे उच्च न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर में लंबित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रकरणों में भी पैरवी करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-1-53/16/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमायुक्त संगठन के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से श्रम पदाधिकारी कार्यालय बिलासपुर का उन्नयन सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के रूप में करती है, इसके क्षेत्राधिकार में पूर्ववत् राजस्व जिला बिलासपुर क्षेत्र सम्मिलित होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2003

विषय :— लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का राजपत्र में प्रकाश.

क्रमांक 1454/एफ-1-9/03/34-2.—उपरोक्त विषयांतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये संलग्न आदेशों को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एन. कोन्हेर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन,, रायपुर

क्रमांक 616/एक/स./लो. स्वा. यां. वि./2001 रायपुर, दिनांक 19-4-2001

आदेश

राज्य शासन के निर्णयानुसार भूजल संवर्धन एवं संभरण की योजनाओं की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित योजनाओं के परीक्षण कर तकनीकी निष्पादन (Technical Clears) देगी. इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जावेगा एवं नियोजन तथा पर्यवेक्षण (Planning & Monitoring) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किया जावेगा.

राज्य स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (STATE LEVEL TECHNICAL CO-ORDINATION COMMITTEE)

1. सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - अध्यक्ष
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य
3. संचालक (अनुसंधान) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर - सदस्य

4.	संचालक, कृषि, रायपुर	-	सदस्य
5.	अधीक्षण यंत्री, जल सर्वेक्षण मण्डल, सिंचाई विभाग, रायपुर	-	सदस्य
6.	स्थानीय प्रभारी, रिमोट सेसिंग सेन्टर एप्लीकेशन मेपकास्ट, भोपाल.	-	सदस्य
7.	क्षेत्रीय संचालक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, रायपुर	-	सदस्य सचिव.

क्रमांक 617/तक/स./लो.स्वा.यां.वि./2001 रायपुर, दिनांक 19-4-2001

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर.
3. संचालक, (अनुसंधान) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर.
4. संचालक, कृषि (केन्द्रीय भूजल) रायपुर.
5. अधीक्षण यंत्री, जल सर्वेक्षण मण्डल, सिंचाई विभाग, (केन्द्रीय भूजल) रायपुर.
6. स्थानीय प्रभारी, रिमोट सेंसिंग सेन्टर एप्लीकेशन मेपकास्ट, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित.
7. क्षेत्रीय संचालक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र. शून्य दिनांक 16-4-2001 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

सही/-
उप-सचिव,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन
रायपुर.

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 1255/लोस्वायां/तक/ग्रा-3/2001 रायपुर, दिनांक 7-9-2001

आदेश

राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा प्रयोजित राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में जन भागीदारी आधारित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान हेतु सेक्टर रिफार्म पायलट प्रोजेक्ट के एकीकृत क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय जल प्रदाय एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति (अपेक्स कमेटी) का निम्नानुसार गठन करती है :—

1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन	-	अध्यक्ष
2.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय.	-	सचिव
3.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
4.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	-	सदस्य
5.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	-	सदस्य
6.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग एवं मुख्यमंत्री	-	सदस्य

गठित समिति राज्य स्तरीय जल प्रदाय एवं स्वच्छता मिशन (एस. डब्ल्यू. एस. एम.) के निम्न कार्यों हेतु उत्तरदायी होगी :—

1. संपूर्ण नितिगत मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु.

2. शासन के विभिन्न संबंधित विभाग एवं अन्य भागीदारों से समन्वय एवं सहयोग स्थापित करने हेतु.

3. योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु.

4. अन्य पायलट जिलों से समन्वय स्थापित करने हेतु.

5. सक्षम प्राधिकारी से योजना का लेखा परीक्षा संपन्न कराने हेतु.

6. भारत सरकार से नियमित संपर्क स्थापित करने हेतु.

समिति प्रदेश में सेक्टर रिफार्म पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत चयनित जिला दुर्ग की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु तत्काल कार्य प्रारंभ करेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से कार्यशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सही/-
(आर. एन. कोन्हेर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

पृ. क्र. 1256/लोस्वायां/तक/ग्रा-3/2001 रायपुर, दिनांक 7-9-2001

प्रतिलिपि :—

1. माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन.

2. समस्त माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन.

3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन.

4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर.

5. कलेक्टर, जिला दुर्ग.

6. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.

7. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परियोजना मंडल, दुर्ग.

8. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड, दुर्ग.

सही/-
(आर. एन. कोन्हेर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक 12-12-2002

क्रमांक 1468/308/चौतीस-11/2002.—केन्द्र सरकार ने 25 दिसम्बर 2002 से पूरे देश में स्वजल धारा जैसी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है. इस कार्यक्रम में पंचायत स्तर तक के भी जल प्रदाय योजना के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु राज्य शासन द्वारा केन्द्र शासन के अनुमोदन हेतु भेजा जाना है.

अतएव राज्य स्तर पर इन प्रकरणों का अनुमोदन करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जा रहा है. इस कार्यकारिणी समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :—

(1)	अपर मुख्य सचिव (सचिव/प्रमुख सचिव) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	-	अध्यक्ष
(2)	विकास आयुक्त अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य
(3)	मुख्य अभियंता अथवा सिविल शाखा के अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	-	सदस्य
(4)	सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग	-	सदस्य
(5)	सचिव, शिक्षा विभाग	-	सदस्य
(6)	सचिव, समाज कल्याण अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य
(7)	प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य
(8)	प्रदेश प्रभारी, एन. आई. सी.	-	सदस्य
(9)	स्वयं सेवी संस्था (कोई-2) बाद में नामांकित की जावेगी	-	सदस्य
(10)	कलेक्टर, रायपुर	-	सदस्य
(11)	उपसचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	-	सदस्य सचिव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सही/-
(डॉ. इंदिरा मिश्र)
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग.

पृ. क्र.. 1469/308/चौतीस-2/2002 रायपुर, दिनांक 12-12-2002

प्रतिलिपि :—

1. विकास आयुक्त, रायपुर.
2. मुख्य अभियंता/सिविल शाखा के अधीक्षण यंत्री, लोक स्वा. यां. विभाग, रायपुर.
3. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
4. सचिव, शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर.
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, रायपुर.
6. प्रमुख सचिव, छ. शा. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
7. प्रदेश प्रभारी, एन.आई.सी.
8. स्वयंसेवी संस्था (कोई-2) नामांकित की गई.
9. कलेक्टर, रायपुर.

सही/-
(डॉ. इंदिरा मिश्र)
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक. स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
MANTRALAYA, RAIPUR

No. 681/ACS/PHED Raipur, Dated 12-3-2003

ORDER

In accordance of Government of India, Ministry Urban Development and Poverty Alleviation, New Delhi direction following State Level Technical Screening Committee (SLTSC) is hereby constituted for Technical Screening of Water Supply Schemes under Accelerated Urban Water Supply Programme.

1.	Engineer In Chief, Public Health Engineering Department, Chhattisgarh, Raipur.	-	Chairman
2.	Regional Superintending Engineer concerned	-	Member
3.	Chief Engineer, Irrigation Department	-	Member
4.	Chief Engineer, Ground Water Department/Board	-	Member
5.	Engineer (I/C), Municipal Administration Department	-	Member

6.	Adviser, (PHEE), CPHEEO, Government of India or his representative.	-	Member
7.	Deputy Adviser (W.S.) Planning Commission, Government of India.	-	Member
8.	Representative of the Central Ground Water Board, GOI, Raipur.	-	Member
9.	Representative of the State Electricity Board	-	Member
10.	Senior Engineer of the State Department In-charge of AUWSP.	-	Member Secretary.

The Terms of Reference for the said State Level Technical Screening Committee (SL, TSC) enclosed for ready reference. The main objective of the committee is to accelerate the technical approval sanctions of the water supply schemes under AUWSP by the CPHEEO Ministry and to facilitate speedy implementation.

Sd/-
(Indira Misra)
Additional Chief Secretary
Government of Chhattisgarh,
Public Health Engineering Department.

Endt. No. 682/ACS/PHED/ Raipur, Dated 12-3-2003
Copy is forwared to the :—

1. Engineer In Chief, Public Health Engineering Department, Chhattisgarh, Raipur.
2. All Superintending Engineer, Public Health Engineering Department, Raipur/Bilaspur/Jagdalpur.
3. Chief Engineer, Irrigation Department.
4. Chief Engineer, Ground Water Department/Board.
5. Engineer (I/C), Municipal Administration Department.
6. Adviser, (PHEE), CPHEEO, Government of India or his representative.
7. Deputy Adviser (W.S.) Planning Commission, Government of India.
8. Representative of the Central Ground Water Board, GOI, Raipur.
9. Representative of the State Electricity Board.
10. Senior Engineer of the State Department In-charge of AUWSP.

For information.

Encl : As above.

Sd/-
(Indira Misra)
Additional Chief Secretary
Government of Chhattisgarh,
Public Health Engineering Department.

Terms of Reference :

1. In the capacity of Chairman, the Engineer-in-chief/Director (Engg.), may invite any official as a special invitee, if necessary, from time to time.

2. Member Secretary may convene the Technical Committee Meetings with the consent of the Chairman and Adviser (PHEE), CPHEEO.

3. The agenda papers for such meetings may be circulated well in advance to all the members with minimum fifteen days notice incorporating the salient features of the DPRs and check list which have been circulated by CPHEEO.

4. Salient features of each scheme including design criteria and cost estimates shall be presented through audio visual aids by the Member Secretary to the members so as to facilitate through interaction on all technical issues to enable the said Committee to examine/screen the DPRs from technno economic angle.

5. The proceedings of the meetings along with minutes and recommendations of the SLTSC may be forwarded to the Ministry/CPHEEO with the recommended cost estimates of each scheme for according technical sanction by CPHEEO and release of funds by the Ministry.

6. Technical Screening Committee meetings shall be convened invariably in the presence of CPHEEO representative.

7. The Member Secretary may convene the committee meetings twice each year preferably during May-June and October-November (when Parliament is not in Session).

8. Minimum quorum of at least five members including the representative of CPHEEO is necessary for convening such meetings.

9. The Chairman shall not delegate his powers to any other member.

10. In case there is a need for change in the scope, cost estimates etc. of the approved schemes, such schemes are once again required to be screened/apprised by the Screening Committee afresh before recommending to the Ministry for revised approval/sanction.

(Duties & Functions)

* The proposed State Level Technical Screening Committee (SLTSC) is required to examine the Detailed Project Reports (DPRs) submitted by the State Implementing Agency from techno-economic and social angle and, if found suitable, recommend the same to the Ministry/CPHEEO for approval.

* Based on the recommendation of the SLTSC, CPHEEO will accord technical approval to all such schemes, as per the prevailing practice.

* Thereafter, the Ministry will release funds to the respective State Government for implementation of the approved schemes.

* Duration of each Screening Committee Meeting should not exceed 2 days depending upon the number of DPRs to be apprised/screened by the Committee.

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 1700/एफ-11-4/03/34-2/04 रायपुर, दिनांक 6-8-2003

आदेश

राज्य शासन एतद्द्वारा कम्प्यूटरीकरण एवं एम.आई.एस. योजनाओं की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार "राज्य स्तरीय कमेटी (State Level Committee)" का गठन करता है. यह कमेटी भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक डब्ल्यू-11053/15/96-टीएम-II, दिनांक 8-2-03 के साथ प्रेषित मार्गदर्शिका में विहित निर्देशानुसार प्रस्तावों का परीक्षण कर अनुमोदन देगी.

राज्य स्तरीय समिति (State Level Committee—SLC)

1.	अपर मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, लोस्वायांवि	अध्यक्ष
2.	भारत सरकार के प्रतिनिधि (ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल प्रकोष्ठ एम.आई.एस.)	सदस्य
3.	राज्य सूचना अधिकारी, एन. आई. सी.	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स	सदस्य
5.	छ. ग. शासन, वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	छ. ग. शासन, योजना विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	छ. ग. शासन, सूचना तकनीक विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
9.	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छ. ग. शासन, लोस्वायांवि	सदस्य
10.	अधीक्षण यंत्री, (प्रशासन) कार्या. प्र. अ., लोस्वायांवि	सदस्य/समन्वयक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सही/-
(डॉ. इंदिरा मिश्र)
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

पृ. क्र. 1701/एफ-11-4/03/34-2/04 रायपुर, दिनांक 6-8-2003
प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
2. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग/एम.आई.एस.,ब्लाक बी-1, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली.
3. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, रायपुर.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, मंत्रालय, रायपुर.
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना तकनीक विभाग, मंत्रालय, रायपुर.

8. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
9. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छ. ग. शासन, लोस्वायांवि, मंत्रालय, रायपुर.
10. अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्या. प्र. अ., लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

की ओर सूचनार्थ.

सही/-
(डॉ. इंदिरा मिश्र)
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 1761/एफ-8-1/03/34-2/03 रायपुर, दिनांक 21-8-2003

आदेश

राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग के पत्र क्रमांक डब्ल्यू-11037/51/2002-टी.एम.-IV (पीटी-1), दिनांक 16-6-2003 के साथ प्रेषित मार्गदर्शिका अनुसार ''राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)" का निम्नानुसार गठन करता है.

1.	अपर मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, छ. ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3.	सचिव, छ. ग. शासन, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
4.	सचिव, छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
5.	सचिव, छ. ग. शासन, अनु. जा./जजा. विकास एवं समाज कल्याण विभाग	सदस्य
6.	सचिव, छ. ग. शासन, सूचना एवं जनसंपर्क	सदस्य
7.	प्रतिनिधि, भारत सरकार, पेयजल आपूर्ति विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख अभियंता, लोक स्वाास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
9.	विशेष सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग	सदस्य
10.	विशेष सचिव, छ. ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विंभाग	सदस्य
11.	विशेष सचिव, छ. ग. शासन, योजना विभाग	सदस्य
12.	राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी.	सदस्य
13.	प्रतिनिधि, केन्द्रीय भूजल, बोर्ड	सदस्य
14.	प्रतिनिधि यूनीसेफ भोपाल/रायपुर	सदस्य
15.	प्रतिनिधि, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय	सदस्य
16.	उप सचिव, छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य सचिव.

उपरोक्तानुसार गठित समिति के निम्नानुसार कार्य होंगे :—

i. स्वजलधारा योजनाओं पर नीतिगत मार्गदर्शन उपलब्ध कराना.

ii. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग के साथ राज्य द्वारा हस्ताक्षरित MOU अनुसार क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा.

iii. जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम से संबंधित तथा भारत सरकार से पूर्ण/आंशिक सहायतित अथवा बाहरी वित्तीय एजेंसियों (ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी. सब मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान शामिल करते हुए) से सहायतित योजनाओं पर चर्चा एवं अनुमोदन करना.

iv. जल प्रदाय एवं स्वच्छता क्रियाकलापों तथा विशेष परियोजनाओं (यदि कोई हो तो) का कान्वर्जेन्स (Convergence) कराना.

v. राज्य के विभिन्न विभागों एवं अन्य सुसंगत गतिविधियों में भागीदार व्यक्तियों/संस्था से समन्वय.

vi. पेयजल एवं स्वच्छता की विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा प्रबंधन का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण.

vii. स्वजलधारा परियोजनाओं में किये गये निर्माण की गुणवत्ता का स्वतंत्र रूप से प्रमाणीकरण करने की व्यवस्था करना.

viii. पेयजल एवं स्वच्छता दोनों योजनाओं कार्यों के अधीन संचार क्षमता विकास कार्यक्रमों की समन्वित करते हुए लागू करना.

उपरोक्तानुसार गठित समिति कम से कम एक बैठक हर तीन महीने में एवं चार बैठकें हर वर्ष करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सही/-
(डॉ. इंदिरा मिश्र)
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

पृ. क्र. 1762/एफ-8-1/03/34-2/03.　　रायपुर, दिनांक 21-8-2003

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर.
2. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली को उनके पत्र क्रमांक डब्ल्यू-11037/51/2002-टी.एम.—IV (पीटी-I), दिनांक 16-6-2003 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ. निवेदन है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गठन के उपरोक्त आदेश की कंडिका 7 अनुसार प्रतिनिधि नामांकित करने का कष्ट करें.
3. मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, रायपुर.
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन मंत्रालय, रायपुर.
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, रायपुर.
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अजा/ ज जा विकास एवं समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना एवं जनसंपर्क, मंत्रालय, रायपुर
10. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
11. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
12. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
13. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, रायपुर

14.. प्रतिनिधि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, रायपुर.
15. प्रतिनिधि, यूनीसेफ, भोपाल/रायपुर.
16. प्रतिनिधि, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
17. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
18. समस्त कलेक्टर, जिला . . . . (छ. ग.)
19. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
20. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड . . . .

की ओर सूचनार्थ

सही/-
(डॉ. इंदिरा मिश्र)
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक 22-8-2003

क्रमांक एफ-1-93/34-1/03/स्था.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. पी. चौरसिया, अधीक्षण यंत्री, लोक स्वा. यां. विभाग, मण्डल, जगदलपुर को आगामी आदेश तक मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करते हुए वेतनमान रुपये 16,400-20,000/- पर कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वा. यां. विभाग रायपुर में अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है.

2. श्री ए. पी. चौरसिया, द्वारा रिक्त किये जाने वाले अधीक्षण यंत्री पद का चालू प्रभार आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा. यां. खण्ड, जगदलपुर (बस्तर) श्री आर. के. तिवारी को सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सही/-
(डॉ. इंदिरा मिश्र)
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

पृ. क्रमांक एफ-1-93/34-1/03/स्था. रायपुर, दिनांक 22-8-2003
प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, मान. मुख्य मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर.

2. विशेष सहायक, मान. राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर.
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर.
4. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वा. यां. विभाग, मण्डल, जगदलपुर.
5. संबंधित अधिकारी श्री . . . .
6. श्री आर. के. तिवारी . . . .

सही/-
(डॉ. इंदिरा मिश्र)
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73/156/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 5 कीं उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो ''छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार भारत एवं अन्य देशों के विभिन्न स्थानों में अध्ययन केन्द्र स्थापित करना तथा मुख्य परिसर छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा..

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 30th August 2003

No. F-73/156/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "CHHATTISGARH UNIVERSITY" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University to open study centre at different places in India & other countries and to establish main campus at Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "CHHATTISGARH UNIVERSITY", to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2003

क्रमांक एफ–73/102/2003/एच. ई./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंसेस, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंसेस, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 23rd August 2003

No. F-73/102/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND SCIENCES, RAIPUR " with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND SCIENCES, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognised or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक एफ–73–95/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "धर्मदीप्ती यूनिवर्सिटी, जगदलपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय जगदलपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "धर्मदीप्ती यूनिवर्सिटी, जगदलपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 30th August 2003

No. F-73-95/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "DHARMADEEPTI UNIVERSITY, JAGDALPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Jagdalpur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "DHARMADEEPTI UNIVERSITY, JAGDALPUR " to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक एफ/73/144/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "लूथरन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइन्सेस" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय बैकुंठपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "लूथरन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 30th.August 2003

No. F/73/144/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "LUTHERAN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES " with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Baikunthpur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "LUTHERAN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognised or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-147/2003/उच्च शिक्षा/38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "मंगलमय विश्वविद्यालय" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "मंगलमय विश्वविद्यालय" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 30th August 2003

No. F-73-147/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "MANGALMAY UNIVERSITY" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "MANGALMAY UNIVERSITY" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognised or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-137/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो ''ई. एम. पी. आई. यूनिवर्सिटी, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''ई. एम. पी. आई. यूनिवर्सिटी, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 1st September 2003

No. F-73-137/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "E. M. P. I. UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "E. M. P. I. UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognised or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/713.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कुटराबोरा प.ह.नं. 19	2.400	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	बरदुली शाखा वितरक नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/714.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बरदुली प.ह.नं. 19	1.446	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	बरदुली शाखा वितरक नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/715.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	आमगांव	0.708	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	करीभावर सब माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/716.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गुचकुलिया	0.117	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	गुचकुलिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/717.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	आमगांव प. ह. नं. 8	0.201	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. कोड नं. 139.	अचानकपुर सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/718.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बोड़सरा प. ह. नं. 13	0.541	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कचन्दा उप वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/719.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बेलादुला प. ह. नं. 12	0.754	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कचन्दा उप वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/720.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कचन्दा प. ह. नं. 12	0.433	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. कोड नं. 139	कचन्दा उप वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/721.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गलगलाडीह प. ह. नं. 13	0.656	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	गलगलाडीह माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/722.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	तुषार प. ह. नं. 13	0.036	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कचन्दा उप वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/723.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	तुषार प. ह. नं. 13	1.381	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कचन्दा उप वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/724.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर प. ह. नं. 14	0.930	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	भाठापारा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/725.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	अरसिया प. ह. नं. 10	1.050	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	अरसिया माइनर नं. 1.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/726.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	चोरभट्टी प. ह. नं. 15	0.237	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	चोरभट्टी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/727.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन. इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	आमगांव प. ह. नं. 8	0.181	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	आमगांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2001-2002.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा ग्राम कोसमपाली, कोकड़ी तराई, गेजामुड़ा, प. ह. नं. 2 तहसील व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा क्रमशः 30.744, 15.328, 2.469 हेक्टेयर जुमला 48.541 हेक्टयर को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छ. ग. राजपत्र में क्रमशः दिनांक 27 सितम्बर 2002 तथा 7 फरवरी 2003 को कराया गया है.

चूंकि अब महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 व 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-कोसमपाली	
300/3 क	0.064
300/3 क	0.162
300/13	0.405
300/15 ख	0.405
300/11 ग/3	0.405
योग	1.441
ग्राम-गेजामुड़ा	
886/4	0.129
895/1	0.121
895/2	0.437

(1)	(2)
901	0.717
903/1	0.470
903/2	0.202
910/1	0.393
योग	2.469

ग्राम-कोकड़ी तराई

(1)	(2)
394	0.182
428	0.821
295/2	0.202
420	0.125
292	0.113
422	0.170
424	0.291
278	0.567
410/1	0.121
277	0.170
276/1	0.142
427	0.417
274/1	0.146
409	0.267
421	0.817
276/2	0.142
274/2	0.008
423	0.607
425, 426	0.421
294	0.364
410/2	0.425
417/2	0.073
योग	6.591
कुल योग	10.501

(2) भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनु. अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-खरसिया
 (ग) नगर/ग्राम-उल्दा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.227 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
170/3, 38/1, 39, 171/2, 50/2, 51/2, 57/1, 175/1, 52/1	0.227
योग	0.227

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 102/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.265 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/4	0.004
132/12	0.020
132/8	0.008
9/7	0.101
9/16	0.012
10/1	0.202
10/2	0.202
14/1	0.016
46	0.028
47	0.089
51/1	0.202
51/2	0.073
51/8	0.045
51/9	0.162
104/5	0.008
132/10 ग	0.117
9/6	0.130
105/2	0.040
141/6	0.105
106/1	0.142
108	0.049
109/1	0.004
110/1	0.146
110/3	0.093
139/2	0.081
141/1	0.040
141/9	0.012
105/282	0.113
137/1	0.024
137/2	0.020
132/10 ख	0.008
139/1	0.199
137/3	0.118
137/4	0.032
137/6	0.122
138	0.016
143	0.324
132/6	0.065
139/3	0.081
147	0.012
योग 33	3.265

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 103/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कलमीपाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/5	0.061
योग 1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुरदा वितरक एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 104/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गिधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.078 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/1	0.150
108/4	0.016
107/2	0.154
108/3	0.162
61/1	0.081
108/2	0.097
59	0.081
60/2	0.008
61/3	0.077
61/7	0.024
671/7	0.008
61/5	0.206
61/2	0.093
62/1	0.081
7/1, 7/8	0.886
654/1	0.121
385	0.085
390/1	0.846
609	0.239
641	0.130
650/1	0.138
655	0.130
684/1	0.275
686	0.247
680/698	0.093
63	0.081
62/3	0.049
66/2	0.105
66/3	0.036
66/1	0.275
65	0.008
8/1	0.141
671/1 क	0.093
10	0.053
24	0.008
9/3, 9/4	0.146
11/1	0.012
386	.0.093
615	0.146
658/2, 657	0.077
387/1, 687	0.223
390/694, 389	0.105
377	0.012
390/2, 376/6	0.198
7/5	0.101
610/2	0.227
614/2	0.040
614/1	0.036
613	0.101
636/1	0.053
639/1	0.284
617/2, 618	0.319
625	0.073
638/2	0.008
622, 623	0.231
649	0.057
635	0.020
637	0.190
639/2	0.049
योग 36	8.078

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 105/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बेन्दोझरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.508 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
56/3	0.016
56/4	0.032
57	0.077
58/1	0.004
54/1	0.020
112/2	0.093
114/2	0.113
109/3	0.008
116/2	0.012
109/4	0.008
115/2	0.069
116/1	0.036
117/1	0.069
120/2	0.032
140	0.093
141/1 ङ	0.008
138/6	0.045
138/1	0.085
141/1 च	0.004
142	0.004
143	0.202
165/1	0.053
156/1 क	0.040
164	0.024
168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 170/1	0.215
168/10, 170/3	0.069
168/11, 170/4	0.077
योग 27	1.508

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 106/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सोड़का
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.059 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/1	0.271
2/?	0.024
1/3 ख	0.089
2/7	0.086
2/1, 5/2	0.045
2/2	0.086

(1)	(2)
2/6	0.061
3/8 क	0.372
182/2	0.032
182/3	0.049
3/8 ख	0.028
172/1 च	0.065
177/4	0.126
178/1	0.121
219/2	0.020
178/2	0.210
182/1 क	0.138
184/2	0.162
394/2	0.004
184/1	0.016
184/3	0.113
186/3	0.085
185/1	0.020
279/1	0.105
279/4	0.211
221/3	0.245
225/3	0.012
225/2	0.069
222/2	0.012
289	0.227
222/1 क	0.032
222/1 ख	0.150
221/1	0.130
219/5 क	0.032
221/2	0.004
220/1	0.154
219/1	0.024
278/1 क	0.028
220/4	0.129
279/5	0.032
279/6	0.032
280/2	0.065
279/2	0.166
290/4	0.012
290/2	0.178
290/3 ख	0.101
288/1	0.117
288/2	0.154
392/1	0.089
392/2	0.073
393/3	0.008
393/1	0.206
394/1	0.053
288/3	0.105
222/4	0.028
220/2	0.053
योग 44	5.059

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 107/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-फुलबंधिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.856 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231	0.016
232/2	0.085
233/2	0.081
232/1	0.101

(1)	(2)
233/1	0.073
181	0.032
235	0.518
234	0.324
263	0.283
224	0.170
385	0.214
222	0.097
221	0.158
220/2	0.012
248/1	0.142
248/2	0.069
267/3	0.227
267/2	0.299
362	0.243
364	0.113
377	0.239
363	0.016
378	0.530
361	0.061
357/2	0.097
359/1	0.045
359/3	0.089
357/1, 357/3	0.097
359/4	0.085
358	0.036
359/2	0.077
375	0.045
353	0.077
352	0.004
379	0.049
178	0.008
236	0.020
247/1	0.024
योग 38	4.856

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 108/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पामगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.549 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
291/2	0.154
294/2, 378/2	0.045
293/2	0.093
289/2, 290/5	0.182
293/1 ख	0.129
293/1 क	0.235
292/4	0.008
288	0.032
287	0.040
286/2	0.057
285/1 क	0.089
285/1 ख	0.162
404/2	0.045
406/3	0.077
402/4, 403/5, 404/1/१	0.045
406/5	0.065
406/4	0.049
408/4	0.089
408/5 ख	0.024
405/2	0.057
410/2	0.065
408/6	0.057
407/2 क, 408/5 ग	0.057

(1)	(2)
410/1	0.032
423/11	0.024
423/7	0.053
423/4	0.028
434/4	0.073
436/1	0.028
436/5	0.036
423/1	0.032
434/7	0.032
433/3	0.012
434/5	0.036
436/3	0.036
434/6	0.016
440/1	0.020
403/4	0.004
438/2	0.231
योग 40	2.549

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 109/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-पलगढ़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.781 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
90, 91	0.275
105, 112, 113	0.247
108	0.020
116, 117, 121, 122	0.239
125	0.040
126	0.085
127, 128	0.105
129	0.045
130	0.045
131/1, 132, 133	0.186
134	0.057
135	0.049
89/2	0.089
89/1	0.024
138	0.073
151, 152, 153, 149, 150	0.202
योग 15	1.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 110/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) ज़िला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-सोड़का

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.192 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/8	0.004
298/6	0.004
436/1	0.032
2/7	0.024
298/4	0.040
2/5	0.085
9/3 क	0.085
2/4 ख	0.040
2/4 ग	0.040
298/2 ख	0.008
3/6	0.004
4/1	0.081
4/2	0.061
4/3	0.053
4/4	0.036
5/3	0.020
6/2 } 10	
6/3	
7/2	0.053
7/3	0.061
7/1	0.045
7/4	0.016
8/2 क	0.032
8/4	0.053
12/1	0.024
12/2 क	0.053
10/2	0.004
236/1	0.020
268/1 ख	0.020
19	0.162
170	0.061
400/1	0.032
171/1	0.036
169/1	0.097
167/4	0.097
386	0.008
161/1 ख	0.045
160/6	0.020
159/1	0.024
159/2	0.032
159/3 क	0.012

(1)	(2)
433/1	0.101
433/9	0.053
159/3 ख	0.012
434/4	0.081
161/3	0.012
160/4	0.008
237/8	0.008
160/2	0.008
231/4	0.036
160/5	0.008
235/7	0.008
237/6	0.012
237/7	0.020
237/5	0.028
237/3	0.008
237/4	0.032
297/4	0.049
236/2	0.089
299	0.057
385	0.154
235/1	0.105
265/2	0.004
236/4	0.020
246/2	0.008
297/2 ख	0.032
236/5	0.020
297/2 ग	0.032
388/2 क, 387	0.028
306/4	0.077
234/4	0.004
234/3	0.057
234/2	0.061
246/1	0.004
265/1	0.057
267	0.105
269/1	0.008
269/2	0.020
268/3 ख	0.008
268/3 ग	0.008
269/3 क	0.008
268/7	0.004

(1)	(2)
269/6	0.024
269/8	0.012
269/2 क	0.012
269/3 ख	0.008
268/2 ख	0.008
268/1 ग	0.020
297/3	0.032
425/3	0.020
268/9	0.012
269/11	0.028
268/1 ख	0.008
298/5	0.040
388/1	0.073
388/2 ख	0.077
404/1	0.012
404/2	0.101
404/3 405/1	0.129
424/1	0.053
402/3	0.061
424/5	0.073
425/1 ख	0.049
425/1 क	0.040
158/3	0.040
297/1	0.020
426/1	0.004
10/1	0.085
योग	4.192

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरक एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.